रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102020-222601 CG-DL-E-21102020-222601

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532] No. 532] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर, 21, 2020/आश्विन 29, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2020/ASVINA 29, 1942

गृह मंत्रालय

(महिला सुरक्षा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2020

सा. का नि . 654 (अ).— राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 32) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार निम्निलिखित नियम बनाने के लिए प्रस्ताव करती है, इन प्रारूप नियमों को उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित, जो ऐसे सभी व्यक्तिओं जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप इस अधिसूचना प्रकाशित करने वाले भारत के शासकीय राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने के तीस दिन की अविध की समाप्ति पर विचार किया जायेगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, उसे निदेशक (महिला सुरक्षा) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली 110001 पर भेजा जा सकता है अथवा director-ws@mha.gov.in पर ई-मेल से भेजी जा सकती है;

उक्त प्रारूप; नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप और/या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

5071 GI/2020 (1)

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा आरंभ-

- (1) ये नियम राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 कहलाएंगे।
- (2) ये अधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -

- (1) जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, इन नियमों में -
 - क) "अधिनियम" अर्थात् राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 32);
 - ख) "शासी बोर्ड" का आशय इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा 1 में यथा अनुबंधित शासी बोर्ड से है;
 - ग) ''केंद्र सरकार" का आशय गृह मंत्रालय से है;
 - घ) "अध्यक्ष" का आशय शासी बोर्ड के अध्यक्ष से है।
 - ड.) "सदस्य" का आशय इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में यथा अनुबंधित शासी बोर्ड के सदस्यों से है, और इसमें पदेन और गैर-पदेन सदस्य शामिल हैं।
 - च) "नामनिर्दिष्ट सदस्य" का आशय इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (छ) में यथा अनुबंधित शासी बोर्ड के नामनिर्दिष्ट गैर-पदेन सदस्यों से है।
 - छ) "विश्वविद्यालय"का आशय इस अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय से है।
 - ज) "कुलपित"का आशय इस अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) में यथा अनुबंधित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपित से है।
 - (2) इसमें प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है;

3. बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें -

- (1) इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के तहत नामनिर्दिष्ट सदस्यों के चयन के लिए कुलपित प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक पैनल केंद्र सरकार को भेजेंगे, जो प्रति रिक्ति पांच व्यक्तियों से कम का नहीं होगा, ये न्यायालयिक विज्ञान, विधि, प्रवर्तन, अपराध विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, न्यायालयिक विज्ञान औषद और भेषजी के क्षेत्रों से होंगे। कुलपित द्वारा यह सूची तर्कसंगत समय, जो साधारणतया रिक्ति की संभावित तिथि से आठ सप्ताह से अधिक नहीं होगा, में भेजी जाएगी।
- (2) केंद्र सरकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्य का चयन करते समय कुलपित द्वारा भेजे गए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पैनल पर विचार कर सकती है–

बशर्ते कि, किसी सदस्य को शासी बोर्ड में नामनिर्दिष्ट गैर पदेन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व केंद्र सरकार राज्य सरकार (रों) से, जिन्हें वह ठीक समझे, विचार-विमर्श करेगी। इसके अलावा बशर्ते कि, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर उन राज्य सरकारों की सूची अधिसुचित करेगी जिनसे विचार-विमर्श किया जाना है।

(3) बोर्ड में नामनिर्दिष्ट सदस्य अगली पदावधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

4. बोर्ड का सदस्य होने से अनर्हता -

(1) सदस्य के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति से पहले, उसे यह घोषणा-पत्र देना होगा कि विश्वविद्यालय के मामलों में उनका किसी भी प्रकार से हितों का टकराव नहीं है, और यदि, उनके कार्यकाल के दौरान बाद में किसी भी समय इस प्रकार का कोई भी हितों का टकराव उत्पन्न होता है, तो वह तत्काल पद से त्यागपत्र दे देंगे।

इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि जांच की निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात्, यह सिद्ध हो जाता है कि बोर्ड के सदस्य और बोर्ड के हितों का टकराव है और बोर्ड इस निर्णय पर पहुंचता है कि कथित टकराव विश्वविद्यालय के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है, तो बोर्ड यह निर्णय ले सकता है कि उक्त सदस्य.बोर्ड की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

- (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति उपर्युक्त नियम के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी अनर्हता के अध्यधीन है तो, यह मामला केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम माना जाएगा और उस निर्णय के विरूद्ध किसी भी सिविल न्यायालय में कोई मुकदमा अथवा अन्य कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
- (3) पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह उस कार्यालय में सदस्य के रूप में कार्यरत है।

5. बोर्ड के सदस्य की पदच्युति –

- (1) बोर्ड का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं बना रहेगा यदि वह
 - (i) अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दे; अथवा
 - (ii) वह मानसिक रूप से अक्षम हो जाए; अथवा
 - (iii) दिवालिया हो जाए, अथवा
 - (iv) वह नैतिक भ्रष्टता सहित किसी दांडिक अपराध में दोषी पाया जाता है; अथवा
 - (v) वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक पद स्वीकार करता है; अथवा
 - (vi) यदि वह अध्यक्ष की अनुमितके बिना बोर्ड की तीन बैठकों में लगातर अनुपस्थित रहा/रही हो;अथवा
 - (vii) बोर्ड द्वारा नियम 4 के अनुसार, अयोग्य घोषित किया गया हो।
- (2) नामनिर्दिष्ट गैर-पदेन सदस्य के मामले में, पदच्युति के आदेश, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाएंगें।

बोर्ड की बैठक :-

- (1) बोर्ड की बैठक आवश्यकता के अनुसार की जाएगी, किंतु एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम दो बार।
- (2) सामान्यत: बोर्ड की बैठकें अध्यक्ष द्वारा या तो अपने प्रस्ताव पर या विश्वविद्यालय मुख्यालय के परिसर निदेशक के अनुरोध पर या बोर्ड के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अधियाचना पर आयोजित की जाएंगी।

(3) व्यक्तिगत रूप से अथवा विडियो कांफ्रेंस, अथवा टेलिकांफ्रेंस के माध्यम से शामिल कम से कम छह सदस्यों कि उपस्थिति बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।

बशर्ते कि, यदि गणपूर्ति की कमी के कारण बैठक स्थगित की जाती है तो अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित अन्य समय और स्थान पर, उसी तिथि या किसी अन्ये तिथि पर आयोजित की जा सकती है; और यदि ऐसी बैठक में, बैठक आयोजित किए जाने के नियत समय के आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य गणपूर्ति पूरा करेंगे।

- (4) बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा, और यदि बराबर मतविभाजन होता है तो अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।
- (5) कार्यपालक कुलसचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक की तिथि से कम से कम दो सप्ताह पूर्व बैठक का लिखित नोटिस भेजा जाएगा। इस नोटिस में बैठक का स्थान, तिथि और समय उल्लिखित होगा। यह नोटिस डाक, इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा फैक्स के माध्यम से प्रत्येक सदस्य के विश्वविद्यालय में रिकार्ड किए गए पते पर भेजा जाएगा, और यदि इसे इस प्रकार भेजा गया हो तो इसे समुचित रूप से सुपुर्द किया गया माना जाएगा।
- (6) ठीक पिछले प्रावधान में किन्हीं अन्य प्रावधानों के होते हुए भी, अध्यक्ष अत्यावश्यक मामलों पर विचार करने हेतु शार्ट नोटिस पर बोर्ड की बैठक बुला सकते हैं।
- (7) कार्यपालक कुलसचिव द्वारा बैठक से कम से कम 10 दिन पूर्व सभी सदस्यों को बैठक की कार्यसूची भेजी जाएगी।
- (8) कार्यसूची में किसी भी मद को शामिल किए जाने के संबंध में नोटिस कार्यपालक कुलसचिवको बैठक से कम से कम 10 दिन पहले मिल जाने चाहिए। अध्यक्ष ऐसी किसी भी मद, जिसके लिए समुचित नोटिस प्राप्त न हुआ हो, को कार्यसूची में शामिल करने की अनुमित दे सकते हैं।
- (9) कार्रवाई से संबंधित सभी मामलों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- (10) बोर्ड की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत कार्यपालक कुलसचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और विशेषत: सात कार्य दिवस अविध के भीतर बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा, उनकी टिप्पणियां मांगी जाएंगी और यदि कार्यवृत जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें अंतिम माना जाएगा। यदि किसी सदस्य द्वारा संशोधन का सुझाव दिया जाता है, तो उसे पांच कार्य दिवसों के भीतर, डाक से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जारी करने की तारीख से दस दिन के भीतर पृष्टि के लिए बोर्ड के सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। अध्यक्ष, उस पर किसी भी टिप्पणी पर विचार करने के बाद, कार्यवृत की पृष्टि और उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षरित कार्यवृत को बोर्ड का संकल्प माना जाएगा।

7. बोर्ड के सदस्यों को देय यात्रा और अन्य भत्ते –

- (1) बोर्ड के सदस्य, बोर्ड और किन्हीं भी अन्य प्राधिकरणों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित यात्रा भत्तों और दैनिक भत्ते के लिए पात्र होंगे।
- (2) किसी सदस्य द्वारा बोर्ड अथवा अन्य किन्हीं भी प्राधिकरणों की बैठक में उपस्थित होने से संबंधित यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों की लागत विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जाएगी।

- (3) शासी बोर्ड के ऐसे सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, उनके लिए अनुमत दरों पर उस स्रोत से प्राप्त करेंगे जहां से वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं। तथापि, यदि, सदस्यों द्वारा अपेक्षित हो तो विश्वविद्यालय संबंधित सदस्यों को, उनके यह घोषणा करने पर कि वे किसी अन्य स्रोत से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता नहीं लेंगे, बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति करेंगे।
- (4) शासी बोर्ड के सदस्य, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अलावा, शासी बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए,शासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित उपस्थिति शुल्क के पात्र होंगे।

8. बोर्ड की कार्यपद्धति के तौर तरीके-

- (1) कार्यपालक कुलसचिव बोर्ड के संकल्प के अनुसार कार्रवाई आरंभ करेंगे।
- (2) संकल्प के अनुसार की गई कार्रवाई के बारे में, जहां तक संभव हो सके बोर्ड की बैठकों में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) बोर्ड के सभी आदेशों और निर्णयों को कार्यपालक कुलसचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

[फा.सं. 23011/21/2020-डब्लल्यू.एस-III]

आशुतोष अग्निहोत्री, सयुंक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(WOMEN SAFETY DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2020

G.S.R. 654 (E).—The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 47 of the National Forensic Sciences University Act, 2020 (32 of 2020) are hereby published, as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be forwarded to the Director (Women Safety), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001 or by email at director-ws@mha.gov.in;

The objections and suggestions, which may be, received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement-

- (1) These rules may be called the National Forensic Sciences University Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** –

- (1) In these Rules, unless the context otherwise requires
 - (a) "Act" means the National Forensic Sciences University Act, 2020 (32 of 2020);
 - (b) "Board of Governors" means the Board of Governors as provided in sub-section (1) of section 15 of the Act;
 - (c) "Central Government" shall mean the Ministry of Home Affairs;
 - (d) "Chairperson" shall mean chairperson of the Board of Governors;

- (e) "Member" means the members of the Board of Governors as provided in sub-section (1) of section 15 of the Act, and includes ex-officio and non ex-officio members;
- (f) "Nominated member" means the nominated non-ex-officio members of the Board of Governors as provided in clause (g) of sub-section (1) of section 15 of the Act;
- (g) "University" means the National Forensic Sciences University established under the Act;
- (h) "Vice-Chancellor" means Vice-Chancellor of the National Forensic Sciences University as provided in subsection (1) of section 21 of the Act.
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. Terms and conditions for the appointment of nominated members of the Board-

- (1) For the purpose of selecting members under clause (g) of sub-section (1) of section 15 of the Act, the Vice Chancellor shall furnish a panel of persons of eminence, not less than five persons per vacancy, selected from the fields of forensic science, law, enforcement, criminology, computer science, engineering, technology, management, forensic medicine and pharmacy, to the Central Government. The list shall be furnished by the Vice Chancellor within a reasonable time not ordinarily exceeding eight weeks prior to the likely date of vacancy.
- (2) The Central Government may consider the panel of persons of eminence sent by the Vice Chancellor while selecting a nominated member to the Board,-

Provided that the Central Government shall consult State Government(s)it deems fit before nominating a member as a nominated non ex-officio member in the Board of Governors.

(3) A nominated member shall be eligible for re-nomination for the next term.

4. Disqualification for being a member of the Board –

(1) Prior to the appointment of a person as member, he or she shall give a declaration that he or she has no conflict of interest in any manner with the affairs of the University, and in case, any such conflict of interest arises at any later period during his or her tenure, shall resign from the position forthwith.

Provided further that if after a due process of inquiry, it is established that there is a conflict of interest of a Member, and the Board comes to a conclusion that the said conflict of interest is adversely affecting the interest of the University, then the Board may decide that the said member shall not participate in the proceedings of the Board.

- (2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of the rule above, the question shall be referred to the Central Government whose decision shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any civil court against such decision.
- (3) The term of office of an ex-officio member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a member.

5. Removal of a member of the Board –

- (1) A member of the Board shall cease to be such member if he or she :-
 - (i) resigns his or her membership; or
 - (ii) becomes of unsound mind; or
 - (iii) becomes insolvent; or
 - (iv) is convicted of criminal offence involving moral turpitude; or
 - (v) accepts a full-time appointment in the University; or
 - (vi) fails to attend three consecutive meetings of the Board without the leave of the Chairperson; or
 - (vii) is disqualified by the Board as member in terms of Rule 4.
- (2) In case of nominated non ex-officio member the order of removal shall be issued by the Central Government.

6. Meeting of the Board-

(1) The Board may meet as often as may be necessary but not less than twice during a calendar year.

- (2) Meetings of the Board shall ordinarily be convened by the Chairperson either on his/her motion or at the request of a Campus Director of the University Headquarter or on a requisition signed by not less than three members of the Board.
- (3) Six members, either through personal presence or video conference or teleconference, shall form quorum for a meeting.

Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held at such other time and place, on the same day or such other date as the Chairperson may determine; and if at such a meeting, a quorum is not present within half an hour from the appointed time for holding the meeting, the members present shall form the quorum.

- (4) All the matters considered at the meetings of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present. If the votes are equally divided, the Chairperson shall have the casting vote.
- (5) A written notice of the meeting shall be sent by the Executive Registrar to every member at least two weeks before the date of the meeting. The notice shall state the place, the date, and the time of the meeting. The notice may be delivered by post, electronic mail, or FAX at the address of each member as recorded in the University and if so sent, shall be deemed to have been delivered
- (6) Notwithstanding the provisions of the immediately preceding provision, the Chairperson may call a meeting of the Board at short notice to consider urgent matters.
- (7) The agenda of the meeting shall be circulated by the Executive Registrar to the members at least ten days before the meeting.
- (8) Notices for inclusion of any item on the agenda must reach the Executive Registrar at least ten days before the meeting. The Chairperson may permit inclusion of any item for which due notice has not been received.
- (9) The ruling of the Chairperson in regard to all matters relating to procedure shall be final.
- (10) The minutes of the proceedings of a meeting of the Board shall be prepared by the Executive Registrar and circulated to all the members of the Board preferably within a period of seven working days, seeking their comments and if no comments are received within ten days from the date of issue of the minutes, the same shall be treated as final. In case, modification is suggested by a member, the same shall be circulated within five working days, through post or electronically, to members of the Board for confirmation within ten days from the date of issue. Chairperson, may, after taking into account any comments received thereon, confirm and sign the minutes. The signed minutes will be treated as Resolution of the Board.

7. Travelling and other allowances payable to the members of the Board –

- (1) The Members of the Board shall be entitled to travelling allowances and daily allowance, as laid down by the Board from time to time, for attending the meetings of the Board and any other Authorities.
- (2) The cost of travelling allowances and daily allowances arising in relation to a member attending a meeting of the Board or any other Authorities shall be borne by the University.
- (3) The members of the Board of Governors who are Government employees, shall receive Travelling allowance and Daily allowance from the source from which they draw their salaries at the rates admissible to them. If, however, required by the members, the University shall reimburse the Travelling allowance and Daily allowance as laid down by the Board from time to time, to the members concerned if they declare that they shall not claim Travelling allowance and Daily allowance from any other source.
- (4) The members of the Board of Governors, other than employees of the University, shall be entitled to sitting fees for attending meeting of the Board of Governors as prescribed by the Board of Governors from time to time.

8. Manner in which the functions of the Board may be exercised –

- (1) The Executive Registrar shall initiate action as per the resolution of the Board.
- (2) The action taken as per the resolution shall be reported to the Board, as far as possible, in its meetings.
- (3) All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Executive Registrar.

[F. No. 23011/21/2020-WS-III]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.